

आवेदन पत्र प्रार्थी का नाम राजेश कुमार के रूपान पर राजेश कुमार सेनी कुमारी के नाम पर ~~राजेश कुमार सेनी कुमारी~~ के अधिकार की जाती है।  
 6/12/2021  
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुडामोडजी

दिनांक :-  
 मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को पेश कर विवेक से कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम सुरक्षा विभाग जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम सुरक्षा विभाग जानने की अनिश्चया की जाती है / नहीं

~~सुरक्षा विभाग जाना उचित है~~

6/12/2021

न्यायाधीश उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुझुनू (राज.)  
 - आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के खाता बुकसमी प्रार्थना पत्र पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (मू०अ०) उदयपुरवाटी/गुडामोडजी को रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निर्मांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप में सुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मू०अ०) उदयपुरवाटी/गुडामोडजी को राजस्व रिकार्ड में अपरत दायमद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं	नाम	जमाबन्दी-सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अरुद्ध)	आदेश (सुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	क/2	2075-2078	21, 209	राजेश कुं मदनलाल	राजेश कुमार सेनी कुं मदनलाल

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 6/12/2021

क्रमांक :- राजस्व/2020/1989  
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, (मू०अ०) उदयपुरवाटी/गुडामोडजी को वास्तो पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया .....को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

